अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1 गोपाल कुमार पुत्र श्री देवारामजी जाति माली नि.- उड तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा,
अपील अ.धारा 75 एल.आर.एक्ट — अपील सं. 3/2020
नामान्तरकरण सं. 448 दिनांक 05.02.2014 ग्रा.पं. उड

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न त अ इ त ज
15—10—2020	प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह अपील अ.धारा 75 एल.आर. एक्ट, नामान्तरकरण सं. 448 दिनांक 05.02.2014 ग्रा.पं. उड विरूद्व अप्रार्थीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त राजस्व अपील व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम रा.वि.प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 20—10—2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही	
20-10-2020	अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दि. 19-10-2020 को अवकाश पर होने से यह पत्रावली आज मेरे समक्ष पेश हुई। वकील श्री दशरथसिंह राठौड़ ने अपील वापस लेने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत की। उन्होंने विद्वान अपील को स्थगित नहीं चलाने हेतु दि. 19-10-2020 को विड्रो कर लिया था। अतः विद्वान अपील वकील की प्रार्थना पर विड्रो करने से जारी विड्रो [illegible] अपील डिस्मिस की जाती है। निर्णय [illegible] पत्रावली फैसल शुमार [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)